न्यायालय संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी श्री विश्राम मीना, आई.ए.एस

अपील संख्या:75/2014 एल.आर.एक्ट GCMS No. 2014/00209

1. स्वर्णसिह पुत्र हरबंशसिंह जाति जटसिख साकिन चक 50 जीवी तहसील श्रीविजयनगर।
2. चतरसिंह पुत्र हरबंशसिंह जाति जटसिख साकिन चक 50 जीवी तहसील श्रीविजयनगर।

– अपीलान्ट

बनाम

1. गुरनामकौर बेवा हरबंश सिंह जाति जटसिंख साकिन चक 50 जीवी तहसील विजयनगर।
2. छिन्द्रकौर पुत्री हरबंश सिंह पत्नी तारासिंह जाति जटसिंख साकिन चक 50 जीबी तहसील विजयनगर।
3. चरणसिंह पुत्र हरबंश सिंह जाति जटसिंख साकिन चक 48 जीवी तहसील विजयनगर।
4. गुरमीतकौर पुत्री हरबंश सिंह जाति जटसिंख पत्नी अमरजीत सिंह साकिन चक 49 आर.वी तहसील पदमपुर जिला श्रीगंगानगर।
5. राज. सरकार

रेस्पोडेन्ट्स

उपस्थितः श्री विजय कुमार पारीक — अभिभाषक अपीलांट
श्री जगदीश प्रसाद शर्मा — अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 ता 4

निर्णय

दिनांक 02.02.2026

यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के निर्णय दिनांक 03.01.2008 के विरुद्ध प्रस्तुत हुई है। अपील के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि –

1– वादगत भूमि वाके चक 50 जीवी प.न. 225/446 व पं. नं. 220/442 की कुल 3.416 हैक्टयर अपीलांट के पिता नाम खातेदारी दर्ज थी। अपीलांट के पिता के देहान्त के पश्चात एवं दस्तावरदारी के आधार पर ग्राम पंचायत ने

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

इंतकाल दर्ज करने का आदेश दिनांक 20.06.2003 जारी किया। ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 20.06.2003 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत हुई, अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ ने अपने निर्णय दिनांक 23.01.2007 द्वारा ग्राम पंचायत के आदेश दिनांक 20.06.2003 को निरस्त कर तहसीलदार श्रीविजयनगर को प्रकरण रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर ने उक्त रिमाण्ड प्रकरण में निर्णय करते हुए अपने निर्णय दिनांक 21.02.2007 द्वारा दस्तरबदारी के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश जारी कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार श्रीविजयनगर के आदेश दिनांक 21.02.2007 एवं उसकी पालना में दर्ज इंतकाल संख्या 193 एवं 194 दिनांक 05.03.2007 के विरूद्ध अपील अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ के समक्ष प्रस्तुत हुई। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ ने उक्त प्रकरण में निर्णय करते हुए तहसीलदार श्रीविजयनगर के आदेश दिनंका 21.02.2007 एवं उसकी रूह से किये गए इंतकाल संख्या 193, 194 दिनांक 05.03.2007 को निरस्त कर प्रकरण को अधीनस्थ न्यायालय में रिमाण्ड कर दिया। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ के आदेश दिनांक 03.01.2008 से व्यथित होकर अपीलाट ने इस न्यायालय में अपील प्रस्तुत की है।

2— विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांट के पिता के देहान्त के पश्चात बहिस्सा बराबर नामांतरकरण असभी अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट्स के नाम दर्ज हुआ। इसके पश्चात दस्तबरदारी रेस्पोडेन्ट्स द्वारा किये जाने पर पुनः इंतकाल दस्तबरदारी के आधार पर पेश होने पर दिनांक 21.02.2007 को नामांतरकरण दर्ज हुआ। उपखण्ड अधिकारी के समक्ष अपील पेश होने पर अपने आदेश दिनांक 23.01.2007 द्वारा आदेश दिनांक 20.06.2003 को निरस्त कर तहसीलदार को रिमाण्ड कर दिया। तहसीलदार श्रीविजयनगर अपने निर्णय करते हुए दस्तबरदारी के आधार पर इंतकाल दर्ज किया। पूर्व में इंतकाल बहिस्सा बराबर दर्ज हुआ एवं दस्तवरदारी पुनः इंतकाल दर्ज हुआ इसके पश्चात गलत आदेश पर लगाकर तथ्यों के विरूद्ध जाकर कानून की अनदेखी कर अधिनस्थ न्यायालय ने निष्रय पारित किया है जो निरस्त योग्य हैं । दस्तबरदारी के आधार पर भी देखे तो रजिस्टर दस्तावेज है तहसीलदार का कृत्य कानून सही था,

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ़ का निर्णय रजिस के आधार पर कानून की व्याख्या किये बिना पारित किया गया है। दस्तबरदारी से रेस्पोडेन्ट संख्या 1 व 2 ने अथवा 1/6 व 1/6 हिस्सा छोड़ा था। अपीलांट के पक्ष में छोड़ा था। अपीलांट के पक्ष में वसीयत दिनांक 23.09.83 को रजिस्टर्ड हो चुकी थी एवं जिसे रिकॉर्ड पर लिया जाना चाहिए। वसीयत रजिस्टर्ड है उसे ही देखा जावे, उसके बिना दर्ज सभी आदेश निरस्त होते है। एक ही वसीयत हुई थी। पूर्व में तलाश में दस्तावेज प्राप्त नही हुआ अब प्राप्त हुआ है। पिता की मृत्यु उपरांत वसीयत लागू हो चुकी है। अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमावें एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर सूरतगढ का आदेश दिनांक 30.01.2008 निरस्त फरमावें व तहसीलदार श्रीविजयनगर का आदेश बहाल फरमावे व वसीयत के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का आदेश फरमावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपनी बहस में न्यायिक दृष्टांत आरआरडी 1997 पेज नं. 286 एवं आरआरडी जुलाई 2007 पेज नं. 520 का अवाला दिया।

3— विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स ने दौराने बहस कथन किया है कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 गुरूनाम कौर मेरा कोई सम्पर्क नही है और ना ही कोई संचारसूत्र हैं और गुरूनाम कौर के और से प्रस्तुत वकालतनामा वापस लेता हुँ। अभिभाषक रेस्पोडेन्ट्स को अपीलांट द्वारा प्रस्तुत बहस से कोई ऐतराज नही है।

4— हमने पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज, न्यायिक दृष्टांतों तथा अधीनस्थ न्यायालय के उपलब्ध अभिलेख का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया एवं बहस उभय पक्ष पर मनन किया। अभिभाषक अपीलांट ने प्रार्थना धारा—5 मियाद अधिनियम प्रस्तुत कर अपील को अन्दर मियाद शुमार किये जाने का निवेदन किया। अभिभाषक अपीलांट द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को मध्यनजर रखते हुए अपील अपीलांट को मियाद में शुमार किया जाता है। अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर सूरतगढ़ ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.08.2008 पारित करते हुए तहसीलदार श्री विजयनगर द्वारा जारी आदेश 21.02.2007 तथा इसकी रूह में दर्ज किये गए इंतकाल संख्या 193, 194 दिनांक 05.03.2007 को निरस्त कर प्रकरण उभय पक्ष को सुनवाई का समुचित अवसर दिया जाकर प्रकरण का निस्तारण किया जावें। तहसीलदार, श्रीविजयनगर ने रजिस्टर्ड दस्तवरदारी के आधार पर इंतकाल दर्ज करने का

संभागीय आयुक्त
बीकानेर

आदेश पारित किया और रेस्पोडेन्ट्स द्वारा उक्त दस्तबरदारी को किसी भी सक्षम स्तर से खारिज नही करवाया है। ऐसी स्थिति में जब तक प्रकरण में उक्त रजिस्टर्ड दस्तबरदारी किसी सक्षम न्यायालय द्वारा निरस्त नही किया जाता, तब तक उक्त रजिस्टर्ड दस्तबरदारी वैध माना जाएगा और उक्त दस्तबरदारी के आधार पर दर्ज इंतकाल भी वैध माना जाएगा। उपरोक्त विश्लेषण से हम इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि उक्त रजिस्टर्ड दस्तबरदारी के आधार पर दर्ज इंतकाल निरस्त किया जाना न्यायोचित नहीं है। अतः अपील अपीलांट आशिंक स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ का अपीलाधीन आदेश दिनांक 03.01.2008 निरस्त किया जाता है तथा उक्त प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित(Remand) किया जाता है कि अधिनस्थ न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, सूरतगढ़ उक्त प्रकरण में संबंधित सभी पक्षों को सुनकर एवं पूर्ण जांच कर विधिसम्मत निर्णय पारित करें।

5— तदनुसार अपील अपीलांट निर्णित होकर नम्बर से कम हो। निर्णय की प्रति अपील पत्रावली में शामिल की जाकर पत्रावली सुव्यवस्थित रखी जावें। निर्णय आज दिनांक 02.02.2026 का लिखिवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(विश्राम मीना)
संभागीय आयुक्त
बीकानेर